चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 17.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 17.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 17.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में उपस्थित समस्त अधिकारी/पुलिसकर्मियों को शारीरिक व मानसिक रुप से फिट रहने हेतु परेड ग्राउण्ड में दौड़ लगवाई गयी साथ ही टोलीवार पुलिसकर्मियों का टर्न आउट चैक करते हुए सम्पूर्ण ड्रिल की कार्यवाही करवाई गयी तथा आगामी गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत रैतिक परेड की रिहर्सल कराई गई और आवश्यक सुधार हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया।।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा जाकर खराब हुए वाहनों को बनवाने हेतु,112 पीआरवी वाहनों तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को मरम्मत हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। पुलिस लाइन्स परिसर का भ्रमण कर आरक्षी बैरिक, सीपीसी कैंटीन,साइबर क्राइम थाना,डायल 112 कार्यालय, भोजनालय का निरीक्षण किया गया। क्वार्टर गार्द का निरीक्षण कर सलामी ली गयी साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश-कक्ष में जाकर पुलिस कर्मियों का अर्दली रुम किया गया।
इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु श्री फहद अली, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, पीआरओ श्री प्रदीप कुमार पाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0 जनपद चित्रकूट श्री सचिन कुमार दीक्षित द्वारा थाना कोतवली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 275/2017 धारा 279,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त बबलू यादव पुत्र लाला यादव निवासी अकबरपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 2000/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(5). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अबरार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज(सी0डि0) श्री सचिन कुमार दीक्षित द्वारा थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 08/2003 धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त लक्ष्मी प्रसाद पुत्र केशन यादव निवासी परसेटा सिंहपुर माफी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट जेल में बिताई गयी अवधि व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
संक्षिप्त विवरणः-
दिनाँक 09.01.2003 को उ0नि0 श्री अनन्त राम मुकेश तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त लक्ष्मी प्रसाद उपरोक्त को 500 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 05/2003 धारा 20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। थाना पहाड़ी में नियुक्त उ0नि0 श्री साधु राम यादव द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी थी एवं दिनाँक 23.01.2003 को आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(6). माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा वर्ष 2018 में एक सार्थक पहल करते हुए व्हाट्सएप पर सक्रिय समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को डिजिटल वालंटियर्स के रूप मे जोड़ा गया था। वर्ष 2023 में उ0प्र0 पुलिस के समस्त पुलिसकर्मियों को जोड़कर "व्हाट्सएप कम्यूनिटी ग्रुप" भी बनाए गए है, जिनकी सहायता से भ्रामक खबरों का खण्डन एवं पुलिस के सराहनीय कार्यों का प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा फेक न्यूज और साइबर अपराध के खिलाफ उ0प्र0 पुलिस के अभियान में युवाओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भागीदारी हेतु "डिजिटल वॉरियर" बनाए जाने के सम्बन्ध में दिए गए निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में नोडल अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में साइबर टीम के आरक्षी प्रशांत कुमार,आरक्षी सर्वेश कुमार द्वारा राजकीय महाविद्यालय कालूपुर पाही में साइबर जागरुकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें सभी छात्र/छात्राओं को "डिजिटल वॉरियर" के सम्बन्ध में एवं साइबर योद्धा के बारे में जानकारी दी गयी जिसमें सभी को बताया गया कि किसी भी जानकारी का विश्लेषण और सत्यापन करके उ0प्र0 पुलिस के "डिजिटल वॉरियर" बनकर, साइबर क्राइम एवं फेक न्यूज़ को रिपोर्ट करें साथ ही छात्र अपने सामाजिक दायरे में फेक न्यूज़ एवं साइबर अपराध के प्रति अपने परिवारीजनों एवं मित्रों को भी जागरूक करते रहे। महाविद्यालय प्रबन्धन से आग्रह करके 'साइबर क्लब' स्थापित करवाया गया एवं एक शिक्षक को इसका नोडल अधिकारी नामित करवाया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती प्रीति पाठक पुत्र पं0 श्री पूरन लाल तिवारी निवासी ढिकरवारा थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि पति नीरज पाठक,ससुर देवनारायण पाठक, सास आराधना पाठक निवासी नई बस्ती थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी द्वारा प्रार्थिया को गाली गलौज,मारपीट,जान से मारने की धमकी, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना करने के सम्बन्ध में दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी शिवाग्नी श्रीवास्तव द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में मारपीट,गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा व प्रताड़ना न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

<u>समझौता कराने वाली टीमः-</u>

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी

2.महिला आरक्षी शिवाग्नी श्रीवास्तव

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अबरार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0 जनपद चित्रकूट श्री सचिन कुमार

दीक्षित द्वारा थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 197/2022 धारा 279,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त चुनबुद सिंह पुत्र मयंक सिंह निवासी पहाड़ी बुजुर्ग थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 2000/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अबरार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0) श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनांक 17.01.2025 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 412/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त रामभवन पुत्र भोन्टू यादव निवासी हर्रा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।